महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 907.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 8 सितम्बर तक 907.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 5.2 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1126.4 मिली मीटर, पुसौर में 975.5, खरसिया में 868.2, घरघोड़ा में 961, तमनार में 836.3, लैलूंगा में 774.8, मुकडेगा में 828.4, धरमजयगढ़ में 813.7 छाल में 920.3 एवं कापू में 973.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक मृत, दो घायल

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा-चांपा मार्ग में उरगा थाना के ग्राम पंचायत पचपेड़ी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का नाम फुलदास महंत बताया जा रहा हैं, जबकि उनकी पत्नी किरण महंत और पिता रामदास महंत के गंभीर घायल होने की जानकारी दी जा रही हैं। घायलों को चांपा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शनिवार को उक्त घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि झमाझम बारिश के बाद आकाशीय बिजली का कहर बरपा, जिसमें एक मृत और दो लोग गंभीर घायल हो गए। प्रशासन ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

इंस्टाग्राम में युवती से दोस्ती कर किया ब्लैकमेल,रायपुर का युवक गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। इंस्टाग्राम पर कांकेर की युवती से दोस्ती कर उसका आपत्ति जनक विडियों बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार तीन-चार माह पहले कांकेर निवासी 20 साल की युवती की जान-पहचान रायपुर के बीरगाँव निवासी 19 साल के शुभम बंजारे से सोशल मिडिया साइट इंस्टाग्राम पर हुई। जान-पहचान होने तथा गहरी दोस्ती के बाद बातचीत के दौरान युवक ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया तथा ब्लैकमेलिंग करने लगा। जिससे परेशान होकर युवती ने कांकेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर तत्काल एक्शन लेते हुए कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर कांकेर थाना प्रभारी की टीम ने रायपुर में आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी। इस दौरान आरोपी कई बार अपनी लोकेशन को बदलता रहा। इस पर साइबर सेल के द्वारा लगातार पुलिस टीम को लोकेशन अपडेट करते रहने से घेराबंदी कर आरोपी को रविवार सुबह 3 बजे हिरासत में लिया गया। पुछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबुल कर लिया जिसपर प्रकरण में आरोपी के विरूध्द धारा 79 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

ड्यूटी के दौरान यातायात सिपाही की मौत

जगदलपुर (आरएनएस)। शहर के सिटी कोतवाली थानाक्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक ट्रैफि क जवान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबियत बिगड़ी थी। जिसके बाद जवान को अस्पताल ले जाया गया जहां जवान की मौत हो गई। मौत की वजह क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार बस्तर में पदस्थ यातायात सिपाही मनीष देव नेताम (35) रविवार को कोतवाली थानाक्षेत्र में ड्यूटी कर रहा था इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगडऩे लगी। मनीष के साथ ड्यूटी कर रहे अन्य सिपाही ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान मनीष की मौत हो गई। मौत की वजह अभी स्पष्ट नही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम किया गया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चलेगा। बताया जाता है कि मृतक सिपाही मनीष नेताम धमतरी जिले के कंडेल का रहने वाला था। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

जानलेवा हुआ स्वाइन फ्लू; बिलासपुर में अब तक 10 की मौत

38 मरीजों का अभी भी जारी है उपचार, जिले में अब तक मिले स्वाइन फ्लू के 144 मरीज

बिलासपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है. जिसके कारण स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. बिलासपुर जिले में अब तक स्वाइन फ्लू से संक्रमित 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बाहरी जिले के तीन मरीजों की मौत बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है. वहीं मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है.

38 मरीज अभी भी स्वाइन फ्लू से हैं पीड़ित

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी देखी जा रही है. राज्य के विभिन्न जिलों में कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं. खासकर दुर्ग और बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के आंकड़े सबसे ज्यादा डराने वाले हैं. दुर्ग में पांच मरीजों की जान चुकी है. वहीं बिलासपुर में सबसे ज्यादा 7 लोग स्वाइन फ्लू से अपनी जान गंवा चुके हैं. बिलासपुर जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 144 मरीज मिले हैं, जिनमें से 38 मरीजों का उपचार अभी भी जारी है.

इस तरह बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू के आंकड़े सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं. इसे लेकर स्वाथ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. सभी मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग की जा रही है और किसी भी लक्षण वाले मरीजों को पूरा उपचार दिया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बीच बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू के मामलों में आई तेजी और हाल में हुई सात मौतों के बाद सियासत गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार के व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस का आरोप है कि मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू के प्रकोप से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही है और जिले स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. इधर, जिले में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पाण्डेय ने सरकार को घेरा है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को प्रदेश सरकार की नाकामी बताया.

पूर्व विधायक शैलेश पाण्डेय ने कहा कि बिलासपुर में टीकाकरण से मासूमों की मौत ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेनक़ाब किया. लापरवाही के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई,क्यों? उन्होंने आगे कहा कि बिलासपुर में स्वाइन फ्लू, डायरिया, मलेरिया और डेंगू से हुई मौतों की जांच होनी चाहिए. सिम्स क्यों बीमार है? थाली बजाने से बीमारी नहीं दूर होगी. सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को रोकथाम के लिए पर्याप्त फण्ड क्यों नहीं दिया?

उन्होंने बिलासपुर आईएमएस को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिलासपुर में घोषित ऱढ़ढरूस् की स्थापना में डबल इंजन सरकार की रुचि क्यों नहीं ?

वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर खराब व्यवस्था का ठीकरा फोड़ा है. बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह सजग है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में लचर हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार रहे हैं, जिसे सुधारने में वक्त लगेगा.

बिलासपुर के 7 मरीज की स्वाइन फ्लू से गई जान

तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच जिले में स्वाइन फ्लू के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और अब तक जिले के 7 मरीजों की मौत हो चुकी है. अब देखना होगा की स्वास्थ्य विभाग इन बढ़ते आंकड़ों को रोकने में कैसे और कब सफल हो पाता है।

आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की दर्दनाक मौत

बलौदाबाजार-भाटापारा। आरएनएस

बलौदाबाजार जिले के ग्राम मोहतरा में अकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वहीं तीन लोग घायल हुए है। बारिश के दौरान सभी लोग भीगने से बचने के लिए तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वे बिजली की चपेट में आ गये। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार रविवार 8 सितम्बर को दोपहर हुई तेज बारिश के चलते अंतर्गत ग्राम मोहतरा (लटुवा) में कुछ लोग बारिश से बचने के लिए नया तालाब किनारे पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। इसी दौरान अचानक बिजली गिरी और सभी बिजली की चपेट में आ गये। इस हादसे में मौके पर ही 7 लोगों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल है, जिन्हें उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल बलौदाबाजार में भर्ती किया गया है। इस हादसे में मुकेश पिता राजन उम्र 20 वर्ष, टंकार पिता हेमलाल साहू उम्र 30 वर्ष, संतोष पिता महेश साहू उम्र 40 वर्ष, थानेश्वर पिता दाउ, साहू उम्र 18 वर्ष, पोखराज पिता दुखू विश्वकर्मा उम्र 38 साल देव पिता गोपाल दास उम्र 22 वर्ष तथा विजय पिता तिलक साहू उम्र 23 साल की मौत हुई है वहीं विशंभर पिता थनवार, बिट्टू साहू एवं चेतन साहू घायल हुए है।

मुख्यमंत्री ने जताया दुःख

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रविवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आकर हुई सात लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मिडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बलौदाबाजार जिले के मोहतरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 ग्रामीणों की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन को बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितम्बर को होगा

सारंगढ़-बिलाईगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार 21 सितम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में सबंधित व्यक्ति माननीय न्यायालय, राजस्व विभाग के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के माननीय न्यायालय, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, समस्त बैंको आदि से संपर्क कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है।

वित्तीय वर्ष के लेखा-जोखा के साथ सम्पन्न हुआ चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समिति का आवश्यक बैठक

रायगढ़

चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समाज का आवश्यक बैठक एक सितंबर दिन रविवार को निर्माणाधीन भवन में रखा गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया साथ ही बैठक में भवन के बाउंड्रीवाल व अन्य विषयों पर सामाजिक चर्चा किया गया।

समिति के अध्यक्ष भगत चन्द्रा ने बताया कि लंबे प्रयास से शहर के हृदय स्थल ढिमरापुर स्थित लक्ष्मी हाइट के पास समाज का भवन निर्माण हो रहा है। बीते दिनों चन्द्रा समाज को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु मुख्यमंत्री घोषणा से 20 लाख राशि स्वीकृत हुआ था, भवन निर्माण को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह है, रायगढ़ शहर में चन्द्रा समाज का लगभग 400 से अधिक परिवार निवासरत है, आने वाले दिनों में कई तरफ के सामाजिक कार्यक्रम करने का योजना बनाई जा रही है, समाज के लोगों ने बैठकर हाल ही में तीज मिलन समारोह करने का निर्णय लिया है, आने वाले दिनों में वर्षान्त तक भवन का लोकार्पण भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए समिति के लोगों के द्वारा तैयारियां शुरू कर लिया गया है।

गेम खेलते-खेलते हुआ प्यार, 14 की मासूम पहुंच गई गुजरात

- एक हफ्ते से गायब बालिका गुजरात में मिली

रायपुर। आरएनएस

मौदहापारा थाना क्षेत्र की एक बस्ती से एक हफ्ते पहले गायब 14 साल की बालिका गुजरात में सुरक्षित मिली. पुलिस टीम उसे अब रायपुर लेकर पहुंच गई है. वह अपने ही हम उम्र ब्वॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में रह रही थी. पता चला कि दोनों मोबाइल गेमिंग के दौरान दो साल पहले एक-दूसरे के संपर्क में आए और उनमें प्यार

मासूम स्कूल में पढ़ती है और उसी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को रायपुर बुलाया. घरवालों से वह स्कूल जाने की बात बताकर घर से निकली और अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन में बैठकर गुजरात चली गई. पुलिस ने बताया कि कम उम्र होने के कारण परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया. अब 14 साल के बालक को अपहरण का आरोपी बनाया गया है. उसे बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, मौदहापारा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अपहृत्त बालिका का पता लगाया. रोजी-मजूरी करने वाले परिवार से पुलिस को पता चला कि 8वीं में पढऩे वाली बालिका मोबाइल फोन का काफी उपयोग करती थी. पुलिस ने उसे जांच के दायरे में लिया. इसके बाद पता चला कि गुजरात में चल रहे एक मोबाइल नंबर पर वह काफी चेटिंग करती रहती है. इसके बाद टीम को रवाना किया गया. पुलिस ने कैम्प लगाकर मोबाइल फोन के उपयोगकर्ता का पता लगाया। पुलिस संबंधित पते पर गुजरात पहुंची, तो पता चला कि घर का मुखिया भृत्य है. उसका बेटा 14 साल का है, जो बालिका को अपने साथ ले गया था. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चालक के परिवार वालों ने लोकल पुलिस को बालिका के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी।

एलुमिना प्लांट में दुर्घटना होने से 3 मजदूरों की मौत

सरगुजा। आरएनएस

सरगुजा के मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक कोयला लोड हॉपर और 150 फीट लंबी बेल्ट गिर जाने से 7-8 मजदूर दब गए। इस दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कुछ के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार लुंड्रा थाना क्षेत्र स्थित प्लांट में रविवार सुबह करीब 11 बजे, प्लांट में काम के दौरान कोयले से लोड किया गया हॉपर और उसके साथ की बेल्ट अचानक गिर गई। यह हॉपर, जिसे पहले भूसा लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कोयला लोड करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। हादसे के वक्त मजदूर उस क्षेत्र में काम कर रहे थे और भारी मलबे के नीचे दब गए

हादसे के तुरंत बाद प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। बचाव कार्य के लिए हाइड्रा और जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। कुछ मजदूरों को सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 2 मजदूरों, मनोज और प्रिंस राज, को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हो गई। पुलिस और चौकी प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य में सहायता कर रहे हैं।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, हॉपर को पहले भूसा लोड करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उपयोग बॉयलर चलाने के लिए किया जाता था। 1 सितंबर से इसमें कोयला भरना शुरू किया गया था, जिसके कारण हॉपर ओवरलोड हो गया। जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे ने सुरक्षा मानकों और प्लांट की रखरखाव की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

उच्च शिक्षा विभाग की नई नीति से बेरोजगार हुए अतिथि व्याख्याताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की नई नीति से अनुभव प्राप्त अतिथि व्याख्याता बेरोजगार हो गए हैं. इस पर अतिथि व्याख्याताओं ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

याचिकाकर्ता रजनी अग्रवाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के तहत याचिका में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 26/06/2024 के डब्ल्यूपीएस 5232/2023 के आदेश को भी चुनौती दी गई है. शीर्ष न्यायालय में जस्टिस पामिदिघंटम नरसिम्हा एवं जस्टिस संदीप मेहता का कोरम इस मामले में शुक्रवार को निर्धारित था.

पूर्व में हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए नियमित भर्ती होने तक यथावत सेवा मे रहने का आदेश दिया था. जिसको अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के तहत हाई कोर्ट में ही रिट याचिकाओं को निराकृत बताया गया. पुन: सिंगल बेंच में अपने विषय के विरूद्ध जारी विज्ञापनों पर व्याख्याताओं ने स्टे आर्डर के तहत पुनर्नियुक्ति की मांग रखी थी. पालिसी 2024 के 13.2 में जिन व्याख्याताओं को न्यायालय से स्थगन प्राप्त है, उन्हें यथावत रखने की कंडिका के बावजूद विभाग द्वारा सिर्फ श्रेणी 01, 02 एवं 03 के व्याख्याताओं को बिना विज्ञापन यथावत रखा गया है.

वहीं लंबे समय से कार्यरत पीजी प्लेन अतिथि व्याख्याता पद पर बिना सूचना दिए बड़ी संख्या में विज्ञापन निकाला गया, जिससे लगभग हजारों व्याख्याता एकाएक बेरोजगार हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सीपी मिश्रा के माध्यम से एसएलपी स्वीकार करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है. पालिसी के कंडिका 13.2 /9.6 एवं यूजीसी मापदंड एवं विनियम के तहत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है.

अतिथि व्याख्याता नीति 2024 शुरू से है विवादित!

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई नीति बनाई गई है, जिसमें एक तरफ तो डिग्रीधारकों को यथावत रख लिया गया है, वहीं दूसरी ओर 10-12 वर्षों से अनुभव प्राप्त अतिथि व्याख्याताओं को बिना किसी सूचना के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. व्याख्याताओं एवं उन पर आश्रित परिवार पर भारी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है.

याचिकाकर्ता अंकुश सिंह सिसोदिया ने कहा कि अगर शासन को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए थे तो सभी अतिथि व्याख्याताओं के पदों पर समान रूप से रिक्तियां जारी करनी थी, लेकिन अनुभव प्राप्त लोगों का हटाया जाना भेदभावपूर्ण है. नीति 2024 शुरू से ही विवादों का सामना कर रही है.